

न्यायालय भूमि सुधार उप समाहर्ता, बुण्डू (राँची)

RM वाद संख्या -20/2017-18

छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 46(i)b

मो० घासनी देवी बनाम कोकिला देवी वगैरह

आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर

विक्रेता का नाम एवं पता -

मो० घासनी देवी पति-स्व० हेमन्त महतो,
ग्राम-कुदाडीह, थाना-सोनाहातु, जिला-राँची,
जाति-कुरमी, महतो, पेशा-गृहिणी।

क्रेता का नाम एवं पता -

1.कोकिला देवी पति-योगेन्द्र महतो, जाति-कुरमी,
महतो, ग्राम-पोवादीरी मिटकुटोला, थाना-सोनाहातु,
जिला-राँची, 2.शुशिला देवी पति-कामेश्वर महतो,
जाति-कुरमी, महतो, ग्राम-रेलाडीह, थाना-बुण्डू,
जिला-राँची, पेशा-गृहिणी।

विद्वान अधिवक्ता का नाम -

श्री परमेश्वर महतो।

विक्रेता द्वारा अपने अधिवक्ता के माध्यम से दिनांक-02/05/2017 को आवेदन देकर छो० का० अधिनियम 1908 की धारा-46(i)b के तहत क्रेता 1.कोकिला देवी पति-योगेन्द्र महतो, जाति-कुरमी, महतो, ग्राम-पोवादीरी मिटकुटोला, थाना-सोनाहातु, जिला-राँची, 2.शुशिला देवी पति-कामेश्वर महतो, जाति-कुरमी, महतो, ग्राम-रेलाडीह, थाना-बुण्डू, जिला-राँची, पेशा-गृहिणी, के हाथों निम्नलिखित भूमि की बिक्री हेतु अनुमति माँगी है:-

भूमि की विवरणी

मौजा	थाना/थाना सं०	खाता सं०	प्लॉट सं०	रकवा
जिन्तु	सोनाहातु/64	175	171	14.5 डी० चौहद्दी:- उ०-घासीराम महतो। द०-जितेन्द्र महतो वगै०। पू०-काँशीनाथ महतो। प०-केशर महतो।

२

		1116	<u>13 डी०</u> <u>चौहद्दी:-</u> उ०-शहर महतो । द०-केशर महतो । पू०-कॉशीनाथ महतो । प०-शहर महतो ।
		1817	<u>114.5 डी०</u> <u>कियारी एक का चौहद्दी:-</u> उ०-केशर महतो । द०-घासीराम महतो । पू०-भरत महतो वगैरह । प०-नागेश्वर महतो वगै० । <u>कियारी दो का चौहद्दी:-</u> उ०-राम महतो । द०-रामेश्वर महतो । पू०-सहोदर महतो । प०-राम महतो वगै० ।
		1835	<u>06 डी०</u> <u>चौहद्दी:-</u> उ०-भरत महतो । द०-घासीराम महतो । पू०-सोनाराम मुण्डा । प०-सहायक रास्ता । <u>कुल रकबा-148 डी०</u>

९

उक्त आवेदन के आलोक में अंचल अधिकारी, सोनाहातु से जाँच प्रतिवेदन की माँग की गई। साथ ही सर्वसाधारण को जानकारी हेतु आम ईस्तेहार भी निर्गत किया गया है।

अंचल अधिकारी, सोनाहातु का पत्रांक-549(ii) दिनांक-24/07/2021 के द्वारा जाँच प्रतिवेदन प्राप्त है। जो कि निम्नवत है।

- (1) प्रस्तावित जमीन के खयितानी रैयत सोहन महतो के नाम से दर्ज है।
- (2) विक्रेता खतियानी रैयत/पंजी II रैयत के पुत्रवहु लगती है।
- (3) पंजी II के अनुसार रैयत का नाम सोहन महतो है। तथा रैयत के पास रकबा-3.96 एकड़ भूमि है।
- (4) प्रस्तावित जमीन का मालगुजारी वर्ष 2019-20 तक वसूली गयी है।
- (5) जमाबंदी रैयत के साथ विक्रेता का संबंध दादा ससुर का है। तथा खतियानी के आधार जमाबंदी कायम है।
- (6) सर्वे खतियान के अनुसार प्रस्तावित जमीन कायमी किस्म की है।
- (7) प्रस्तावित जमीन बिक्री करने के पश्चात भी विक्रेता के पास जीवन यापन हेतु पर्याप्त भूमि बचता है।
- (8) विक्रेता प्रस्तावित जमीन को बिमारी का इलाज एवं कर्ज चुकाने हेतु बिक्री कर रही है।
- (9) क्रेता एवं विक्रेता दोनो कुरमी जाति के सदस्य है।
- (10) क्रेता एवं विक्रेता दोनो एक हि जिला के निवासी है।

उपरोक्त प्रतिवेदन में अंचल अधिकारी, सोनाहातु ने छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा-46(i)b के तहत विक्रेता मो० घासनी देवी पति-स्व० हेमन्त महतो, ग्राम-कुदाडीह, थाना-सोनाहातु, जिला-राँची, जाति-कुरमी, महतो, पेशा-गृहिणी, को क्रेता 1.कोकिला देवी पति-योगेन्द्र महतो, जाति-कुरमी, महतो, ग्राम-पोवादीरी मिटकुटोला, थाना-सोनाहातु, जिला-राँची, 2.शुशिला देवी पति-कामेश्वर महतो, जाति-कुरमी, महतो, ग्राम-रेलाडीह, थाना-बुण्डू, जिला-राँची, पेशा-गृहिणी, के हाथों प्रस्तावित भूमि के बिक्री करने की अनुमति देने की अनुशंसा की है।


इस न्यायालय के द्वारा दिनांक-02/05/2017 को निर्गत आम सूचना का तामिला प्रतिवेदन संबंधित अंचल कार्यालय से प्राप्त है। आज तक किसी भी व्यक्ति ने कोई आपत्ति दायर नहीं की है।


अतः अंचल अधिकारी, सोनाहातु के अनुशंसा के आलोक में उपरोक्त वर्णित भूमि की विक्रेता मो० घासनी देवी पति-स्व० हेमन्त महतो, ग्राम-कुदाडीह, थाना-सोनाहातु,

९

जिला-राँची, जाति-कुरमी, महतो, पेशा-गृहिणी, को क्रेता 1.कोकिला देवी पति-योगेन्द्र महतो, जाति-कुरमी, महतो, ग्राम-पोवादीरी मिटकुटोला, थाना-सोनाहातु, जिला-राँची, 2. शुशिला देवी पति-कामेश्वर महतो, जाति-कुरमी, महतो, ग्राम-रेलाडीह, थाना-बुण्डू, जिला-राँची, पेशा-गृहिणी, के हाथों बिक्री करने की अनुमति छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 धारा-46(i)b के तहत दी जाती है। तथा अवर निबंधक, बुण्डू/जिला अवर निबंधक, राँची को आदेश दिया जाता है कि प्रस्तावित भूमि की बिक्री सरकार द्वारा निर्धारित दर से कम में नहीं करेंगे।

लेखापित एवं संशोधित।


भूमि सुधार उप समाहर्ता।
बुण्डू (राँची)।


भूमि सुधार उप समाहर्ता।
बुण्डू (राँची)।